पत्रांक-14/एम7-125/2014(अंश-III) ....

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कुलपति,
~~फैक्स~~/ईमेल बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय,
स्पीड पोस्ट मधेपुरा

पटना, दिनांक '2016

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०(सिविल) संख्या-12591/2010 कृष्णानन्द यादव एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में गठित माननीय न्यायमूर्त्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग द्वारा विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में आर० एल० कॉलेज, माधव नगर, पूर्णिया के स्तर पर वेतनादि भुगतान के आधार पर शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के संदर्भ में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1227 दिनांक 17.08.2015, पत्रांक-1275 दिनांक 24.08.2015, स्मार पत्रांक-1557 दिनांक 28.09.2015, स्मार पत्रांक-1688 दिनांक 02.11.2015 तथा स्मार पत्रांक-1771 दिनांक 25.11.2015 एवं पुनः स्मार पत्रांक-13 दिनांक 04.01.2016 का कृपया स्मरण किया जाय । उक्त पत्रों के द्वारा संलग्न सूची में अंकित शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के संदर्भ में वेतन भुगतान संबंधी रजिस्टर (Acquittance Roll) के आधार पर महाविद्यालय के अंगीभूतिकरण की तिथि से पूर्व एवं अंगीभूतीकरण की तिथि से वेतनादि भुगतान की निरंतरता, इससे संबंधित बैंक एडभाईस, प्रथम वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों की अधिसूचना, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान से संबंधित पारित आदेश के आधार पर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था । उल्लेखनीय है कि उक्त पत्रों के आलोक में वांछित अभिलेख तथा प्रतिवेदन विश्वविद्यालय पत्रांक- GS (161/15)- 1837/15 दिनांक 19.12.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, परन्तु उक्त पत्र के संलग्न कागजात मांगी गयी वांक्षित जानकारी/ सूचना के अनुरूप नहीं रहने के कारण उन्हें माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो रहा है ।

वर्णित स्थिति तथा तथ्यों के आलोक में मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रों के अनुरूप सेवा सामंजन हेतु दावा करने वाले प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के

प्रथम एवं अन्य सभी वेतन भुगतान के आधार पर सेवा सामंजन की स्थिति में अन्तर वेतन के रूप में पड़ने वाले वित्तीय भार की राशि से संबंधित प्रमाणिक कागजात/ अभिलेख तथा प्रतिवेदन को पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि भविष्य में अंकेक्षण के समय उनके द्वारा किये जा रहे दावे की पुष्टि हो सके।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-14/एम7-125/2014(अंश-III)......69...... पटना, दिनांक 15/01/2016

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना / कुलसचिव, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/ प्रधानाचार्य, आर०एल० कॉलेज, माधवरनगर, पूर्णिया/ आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(के० सेंथिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव